न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा (आर॰ए॰एस॰)

मुकदमा नम्बर 07 / 2019

दिनांक–12.06.2019

नानची देवी उर्फ नानू देवी पत्नी श्री हरफूल सिंह जाति जाट निवासी बड़वासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)

– वादी

बनाम

राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़

–प्रतिवादी

वकील वादी : – श्री शीशुपाल सिंह कुल्हरी
वकील प्रति॰ :– राज. पैरोकार

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: निर्णय ::

निर्णय दिनांक 05.11.2019

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम बड़वासी पटवार हल्का बड़वासी की सरहद में प्रार्थीया क सहखातेदारी की भूमि खाता संख्या 34 की भूमि खसरा नम्बर 349 / 2.12, 350 / 1.10, 351 / 0.40, 352 / 0.37, 354 / 1.20, कुल किता 05 कुल रकबा 5.11 हैक्टेयर अवस्थित है, जिसमें प्रार्थी का बहिस्सा 25 / 511 है, जिकसी प्रर्थीया खुद काश्त व खातेदारी है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का गलत नाम नानू देवी स्त्री हरफूल सिंह दर्ज कर यिा, जबकि प्रर्थीया को गांव व रिश्तेदारी में नानची देवी के नाम से जाना जाता है व इसी नाम से पुकरा जाता है। प्रार्थीया का अलावा राजस्व रिकार्ड के सम्पूर्ण पत्र व्यवहार अन्य दस्तावेजात पहचान पत्र, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, अधार कार्ड, बैंक पास बुक व पेंशन कार्ड सभी में नानची देवी दर्ज है व यही नाम प्रचलित है, इसलिये प्रार्थीया का नाम नानूदेवी के बजाय नानची देवी नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर रही है। प्रार्थीया का राजस्व रिकार्ड में नानू देवी नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थीया न तो सरकारी सुविधा प्राप्त कर रही है, बैंक से लोन व अन्य सुविधाओं से प्रार्थीया को वंचित होना पड़ रहा है, इसलिये प्रार्थीया का नाम नानू देवी के बजाय नानची देवी नाम राजस्व रिकार्ड में करेक्शन ऑफ रेवेन्यू इन्ट्री करवाया जाना आवश्यक हुआ है। न्यायालय को सुमोटों भी करेक्शन ऑफ रेवेन्यू इन्ट्रर करने का पूर्ण अधिकार है, इसलिये प्रार्थीया का नाम खाता संख्या 34 के राजस्व रिकार्ड में नानू देवी की बजाय नानची देवी दर्ज किया जाना

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

न्यायोचित है, जिसे दुरूस्त किया जावे। प्रार्थना पत्र को सुनवाई करने का माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार है। प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत हैं।

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत पेश कर अनुतोष चाहा है कि राजस्व ग्राम बड़वासी की सरहद में अवस्थित खाता संख्या 34 की भूमि खसरा नम्बर 349, 350, 351, 352, 354 को राजस्व रिकार्ड में दर्ज नानू देवी स्त्री हरफूल सिंह की बजाय नानची देवी स्त्री हरफूल सिंह दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान कर तहसीलदार नवलगढ़ को इस आशय की तहरीर भिजवाये जाने की कृपा करे।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होन पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी राज पैरोकार तहसीलदार द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर प्रार्थीया का नाम दुरूस्त करने की सहमति प्रदान की गई है। प्रार्थीगण दस्तावेजात पहचान पत्र, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, अधार कार्ड, बैंक पास बुक व पेंशन कार्ड सभी में नानची देवी स्त्री हरफूल सिंह दर्ज है अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार व संलग्न दस्तावेज अनुसार प्रार्थीया की प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थीया की प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम बड़वासी की सरहद में अवस्थित खाता संख्या 34 की भूमि खसरा नम्बर 349, 350, 351, 352, 354 में नाम नानू देवी स्त्री हरफूसिंह के स्थान पर नानची देवी स्त्री हरफूल सिंह दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05.11.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2019.11.22 16:41:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: